फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री इन्द्रमल — बनाम — विपक्षी : श्री भगवतीलाल व अन्य

किस्म मुकदमा – 128 भू.राजस्व अधिनियम — पत्रावली संख्या : 194 / 22

क्रमांक	कार्यवाही विवरण

दिनाक : 20.03.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अपनी बहस मे जवाब मे अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण मे अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि की आराजी न. 2980, 2982 किता 2 रकबा 0.8700 है. भूमि मे प्रार्थी एकमात्र खातेदार काश्तकार होकर आधिपत्यधारी है। विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पडौसी है। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थी एव विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमाकन नहीं होने से पक्षकरो मे आये दिन विवाद रहता है साथ ही बताया कि विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि में जबरन दखलअंदाजी करते है जिससे पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण मे विपक्षी संख्या 1 से 3, 6, 7 द्वारा अपने जवाब मे बताया की उक्त भूमि प्रार्थी के नाम गलत अंकित है मौके पर प्रार्थी का कोई कब्जा नही है जिससे सीमांकन कराने दखलअंदाजी करने का कथन गलत है साथ ही बताया कि उक्त भूमि श्रीमती पुंजकी बाई को उप जिला कलक्टर वल्लभनगर के आदेश दिनांक 05.11.1977 से आवंटित हुई जिसके खसरा संख्या 1991 / 1 रकबा 4 बिघा थे जिसके नये नम्बर 2980, 2982 बने उक्त भूमि आवंटन के समय से लेकर आज दिन तक पडत हैं जिससे विपक्षी द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर महोदय उदयपुर में प्रार्थना पत्र आवंटन निरस्त पेश किया गया है जिसके प्रकरण संख्या 23 / 2023 है। विपक्षी भगवतीलाल ने प्रार्थनाग्रस्त भूमि से रास्ता चाहने हेतु श्रीमान उपखण्ड अधिकारी भीण्डर के समक्ष प्रार्थना पत्र 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया है जो विचाराधिन है जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि मे प्रार्थी खातेदार हैं। खातेदार को अपनी भूमि पर पत्थरगढी करवाये जाने का पूर्ण अधिकार है। विपक्षीगण द्वारा अपने जवाब मे बताया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी के नाम गलत अंकित हैं तथा मौके पर प्रार्थी का कब्जा नहीं हैं। इस बिन्दु को इस पत्रावली में तय नही किया जा सकता हैं। वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी खातेदार हैं। खातेदार को अपनी भूमि पर पत्थरगढी करवाये जाने का पूर्ण अधिकार है। अगर प्रार्थनाग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है तो प्रकरण में सशर्त पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतित होता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार किया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा बांसडा पटवार हल्का बांसडा, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर की जमाबंदी 2078–81 की खाता संख्या नया 320 की आराजी न. 2980, 2982 किता 2 रकबा 0.8700 है. भूमि की चारो दिशाओं सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार भीण्डर को 1000 / – एक हजार रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। यदि नवीन सेंटलमेंट के बाद प्रार्थनाग्रस्त भूमि की तरमीम व रेकर्ड में कोई त्रुटि हो तो पत्थरगढी नहीं की जावें। उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा [illegible] है। अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है तो प्रार्थी कब्जा प्रा[illegible] न्यायालय से राहत प्राप्त करें। तहसीलदार सुनिश्चित करें कि पत्थरगढी [illegible] की कार्यवाही न हो। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर [illegible] फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भुगतान प्रार्थी [illegible]।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:19:29 IST
Reason: SelfAttested